(27)

R 615-III/15-

1) लक्ष्मण पिता बोन्दरसिंह माली मृत तर्फे वारिसान

1) श्रीमती लक्ष्मीबाई पति लक्ष्मण

2) कैलाश पिता लक्ष्मण

दोनो निवासी - काजीपुरा खरगोन (म.प्र.)

3) श्रीमती सुशीलाबाई पिता

निवासी - माली मोहल्ला, खरगोन

4) श्रीमती विमलाबाई पति दिलीप

निवासी - एम.जी.रोड, खरगोन (म.प्र.)

5) कमल पिता लक्ष्मण

निवासी - काजीपुरा खरगोन (म.प्र.)

6) प्रहलाद पिता लक्ष्मण

निवासी - काजीपुरा खरगोन (म.प्र.)

2) श्रीमती पार्वतीबाई उर्फ उमाबाई

पति कन्हैयालाल पिता बोन्दर माली

निवासी - काजीपुरा खरगोन (म.प्र.)

3) श्रीमती राधाबाई पति रमेश माली

निवासी - बिरला मार्ग खरगोन (म.प्र.)

4) श्रीमती रूखमणीबाई पति फत्तु माली

निवासी - बिरला मार्ग खरगोन (म.प्र.)

5) जगदीश पिता कन्हैयालाल माली

निवासी - बिरला मार्ग खरगोन (म.प्र.)

-2पर

विरूद्ध

1) केशव पिता फत्तु माली

निवासी - काजीपुरा खरगोन (म.प्र.)

2) संजय पिता मांगीलाल राठौड

3) नारायण पिता मांगीलाल राठौड

4) जीवन पिता मांगीलाल राठौड

5) दिनेश पिता मांगीलाल राठौड

6) महेश पिता मांगीलाल राठौड

सभी निवासीगण - म.गां. मार्ग, खरगोन (म.प्र.)

-4पर

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 615–तीन/2015 जिला खरगौन

लक्ष्मण मृत वारिसान आदि विरूद्ध केशव आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22–4–2015	आवेदक अभिभाषक श्री बी0 के0 गुप्ता द्वारा ग्राहयता पर प्रस्तुत तर्क पर विचार किया तथा प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। आवेदकों द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त इन्दौर संभाग के प्रकरण कमांक 17/2004–05/निगरानी में पारित आदेश दिनांक 22–12–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। प्रकरण में उपलब्ध अपर आयुक्त के आदेश की प्रति एवं दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपर आयुक्त द्वारा संहिता की धारा 178 की पूर्ण विवेचना करते हुये अभिलेखों के आधार पर उभय पक्ष के तर्क सुनने के पश्चात तहसीलदार एवं अनुविभाागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश त्रुटिपूर्ण मानते हुये निरस्त किये हैं। जहां तक अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिप्रार्थी कमांक 16 मोहन पिता बोन्दर की मृत्यु होने के बाद उसके वारिसों को रिकार्ड में लिये बिना आदेश पारित करने का प्रश्न है, याचिकाकर्ता द्वारा यह नहीं बताया गया कि प्रकरण में न्यायालय को उसके मृत होने की जानकारी याचिकाकर्तागण अथवा प्रतिप्रार्थीगण द्वारा दी थी। यह भी स्पष्ट नहीं है कि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय में बहस सुनने के पश्चात पक्षकार मृत हुआ है अथवा उसके पहले मृत	

हुआ। अधीनस्थ न्यायालय में तर्क के समय इस बात की जानकारी उभय पक्ष में से किसी के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को दी गई है, यह भी याचिकाकर्ता द्वारा नहीं बताया गया, जबकि अधिकांश पक्षकार एक ही परिवार के सदस्य हैं। अतः इस आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अवैधानिक नहीं माना जा सकता। अपर आयुक्त ने विस्तार से आदेश पारित करते हुये विधिसम्मत आदेश पारित किया है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं होने से ग्राह्यता के स्तर पर ही निरस्त की जाती है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(डा0 मधु खरे)
सदस्य